आयुध कारखानों का निगमीकरण

इतिहास और कार्यबल एवं नागरिकों पर प्रभाव

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ

विभिन्न विभागों में पूरे भारत में 438 यूनियनें ओएफबी, एमईएस, डीआरडीओ, डीजीक्यूए, डीजीएक्यूए, ईएमई, एबीडब्ल्यू, सीक्यूडब्ल्यू, आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स आदि..

स्थापना: 1953

मुख्यालय: खड़की, पुणे

अध्यक्ष: श्री स.न. पाठक

महासचिव श्री सी. श्रीकुमार:

आयुध कारखाना बोर्ड

पूरे भारत में 41 आयुध कारखाने, कोलकता में मुख्यालय और 3 क्षेत्रीय मुख्यालय, 9 कार्यालय, 3 क्षैत्रीय सुरक्षा निर्देशालय,

भूमि: लगभग 68000 एकड़ बेशकीमती स्थानों पर

इमारतें : 32,962

ऑर्डर बुक : 60,000 करोड़

मानव शक्ति (Man power)

गजेटेड(Gazetted)	नौन- गजेटेड (Non Gazetted)
ग्रुप ए: 1722	एनजीओ: 7068 आईईएस'
ग्रुप बी: 7715	एनआईई: 10196 48253

ओएफबी निगमीकरण का इतिहास

नायर समिति

रमन पुरी समिति

केलकर समिति

शेखतकर समिति

इन सभी समितियों ने पिछले 40 वर्षों के दौरान आयुध कारखानों के निगमीकरण का सुझाव दियाँ।

5 रक्षा मंत्री
जॉर्ज फर्नांडीस (2001-2004)
प्रणब मुखर्जी (2004-2006)
ए.के.एंटोनी (2006-2014)
मनोहर पर्रिकर (2014-2017)
अरुण जेटली (2017)
आयुध कारखानों का निगमीकरण करने से इंकार कर दिया था।

हड़तालें

रक्षा नागरिक कर्मचारियों द्वारा की गई अनेक हड़तालें -
आयुध कारखानों के निगमीकरण, डीआरडीओ, एमईएस, सेना बेस कार्यशालाओं, आयुध डिपो आदि, गोको मॉडल, निजीकरण, और अन्य मुद्दों पर आउटसोर्सिंग का विरोध करने के लिए

मील के पत्थर वाली हड़तालें

- जनवरी 2019 में 3 दिवसीय हड़ताल
- अगस्त-सितंबर 2019 में 30 दिवसीय हड़ताल
- मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की मध्यस्थता के बाद हड़ताल 5 दिनों के बाद स्थगित कर दी गई और सुलह के दौरान, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने एक लिखित आश्वासन दिया था कि आयुध कारखानों के निगमीकरण का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
- यह भारत के मजदूर वर्ग के बीच एक ऐतिहासिक हड़ताल थी

अनिश्चितकालीन हड़ताल

16 जून 2020 को कोविड राहत पैकेज की घोषणा सरकार ने आत्मानिर्भर भारत के नाम पर आयुध कारखानों के निगमीकरण की घोषणा की।

इस निर्णय का विरोध करने के लिए

12 अक्टूबर 2020 से आयुध निर्माणी के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की।

एक बार फिर मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्र) ने मध्यस्थता शुरू की और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 33 में दिए गए प्रावधानों का उपयोग यथास्थिति बनाए रखने के लिए और मुद्दे को हल करने के लिए और अधिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

COVID महामारी के कारण प्रत्यक्ष (Physical) बैठक का आयोजन नहीं किया गया।

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ श्रम मंत्रालय की वीडियो कॉन्फ्रेंस के कई दौर चले,15 जून 21 की तारीख को मुख्य श्रम आयुक्त ने घोषणा की है कि समझौता विफल हो गया है और सरकार को रिपोर्ट दिया गया।

आईडी अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार जब सुलह विफल हो जाती है तो सरकार को मामले को निर्णय में लेना होता है

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों ने 26 जुलाई 2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया।

कानून के प्रावधानों का पालन करने के बजाय सरकार ने आयुध कारखानों के कर्मचारियों पर हड़ताल की कार्रवाई रोकने के लिए आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश लागू किया।

16 जून 2021 को सरकार ने 41 आयुध कारखानों को 7 निगमों में बदलने का निर्णय लिया।

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने आयुध कारखानों निगम और ईडीएसए21 के मामले में राहत के लिए उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

हाल ही में हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है और सभी हस्ताक्षर संसदीय स्थायी समिति को सौंपे हैं।
अगला कार्यक्रम कर्मचारियों के साथ-साथ आस-पास के नागरिकों का जनमत संग्रह है।

Shot on Y15
Vivo AI camera
2019.07.30 12:13

Shot on Y15
Vivo AI camera
2019.08.01 09:51

Shot on Y15
Vivo AI camera
2019.08.01 09:52

निगमीकरण के खिलाफ
संयुक्त संघर्ष समिति
जी.सी.एफ. जबलपुर
मजदूर संघ
हथौड़ा
श्रमिक संघ
मिले हाथ
कर्मचारी यूनियन
Shot on Y15
Vivo AI camera
2019.08.09 18:11

Shot on Y15
Vivo AI camera
2019.08.01 09:41

शहर में प्रदर्शन

हिन्द मजदूर सभा
रेल्वे, डिफेन्स
का निजीकरण एवं
निगमीकरण बंद करो
HMS
न्यू पेंशन स्कीम
सम्पत कर पुरानी पेंशन
स्कीम लागू करो
HMS
बिजली उद्योग
का निजीकरण बंद करो
HMS
श्रम कानूनों
HMS
रोजगार उपलब्ध कराओ
HMS

निगमीकरण का प्रभाव

- छटनी
- नौकरी का नुकसान, पेंशन, टर्मिनल लाभ
- आउटसोर्सिंग
- भर्ती रोकी जाएगी
- कॉन्ट्रेक्ट कर्मियों का शोषण
- कार्यभार का नुकसान
- मजदूरी का नुकसान

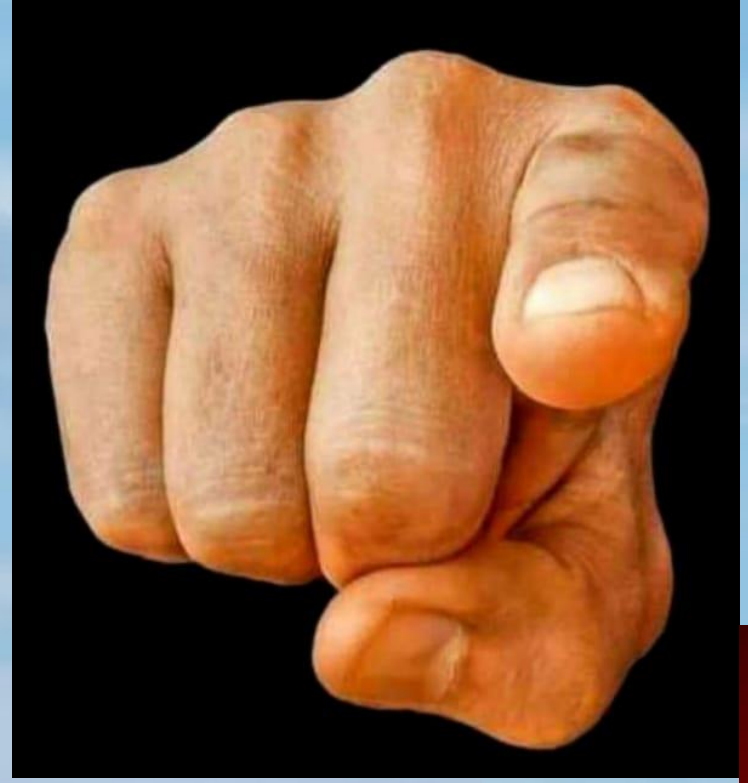

हम एक साथ दुनिया को बदल सकते हैं
आइए हाथ मिलाएं
और निजीकरण के खिलाफ लड़ें
और मजदूर वर्ग और आम आदमी
के अधिकारों के लिए संघर्ष करें